न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 649 / 2023

अनवान : –

1. राधा पुत्री मालाराम जाति सोनी निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर।
2. राजेश पुत्री मालाराम जाति सोनी निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर।
3. शारदा पुत्री मालाराम जाति सोनी निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर।

– **वादीगण**

बनाम्

1. मलाराम पुत्र मोमन राम जाति सोनी निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर।
2. प्रहलाद पुत्र मालाराम जाति सोनी निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर।
3. विमला पुत्री मालाराम जाति सोनी निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर।
4. बाधो पुत्री मालाराम जाति सोनी निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर।
5. मंजु पुत्री मालाराम जाति सोनी निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
7. उप पंजीयक कार्यालय नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री महेशचन्द्र शर्मा अधिवक्ता **वादी**

पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 23/12/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा गिराजसर तहसील नोहर के खाता संख्या 65 / 67 की कुल 4.7290 हैक्ट भूमि में से 3717 / 4729 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा रेखजिन्द्रासर तहसील नोहर के खाता संख्या 56 / 34 की कुल 1.7830 हैक्ट भूमि में से 771 / 1783 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि वादीगण की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का जन्मजात हक हिस्सा है प्रतिवादी संख्या 1 कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के अकेले के नाम दर्ज हो गई उक्त वाद भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ जन्म जात हक हिस्सा है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 6 उक्त वाद भूमि में अपने हक हिस्सा अनुसार वाद भूमि दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। जिसकी वादीगण न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादीगण ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा कि वादीगण के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा... तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गया ... दिया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.12.27 13:55:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अतः वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादीगण के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 5 को सम्यक नोटिस तामील होने के उपरान्त भी उपस्थित नही अतः प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। प्रतिवादी संख्या 6 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी सम्वत 2070–73 रोही मौजा रेखजिन्द्रासर खाता संख्या 56/34, जमाबंदी सम्वत 2071–74 के खाता स0 65/67, खतौनी बंदोबस्त गिराजसर बहक मोमन, शपथ पत्र बाबत सदस्य आदि दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादीगण की दादालाई कृषि भूमि है जो की वर्तमान में वादी के पिता के नाम दर्ज है उक्त वाद भूमि पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 5 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ जन्म से हक हिस्सा है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपने हक हिस्सा अनुसार वाद भूमि अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। अतः वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा गिराजसर तहसील नोहर के खाता संख्या 65/67 की कुल 4.7290 हैक्ट भूमि में से 3717/4729 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा रेखजिन्द्रासर तहसील नोहर के खाता संख्या 56/34 की कुल 1.7830 हैक्ट भूमि में से 771/1783 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से उक्त वाद भूमि पैतृक दादालाई कृषि भूमि होना साबित है। वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं सजरा खानदान के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 के अन्य कोई वारिस नही होना स्वीकार किया गया है। अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.12.27 13:55:17 IST
Reason: SelfAttested

अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

गिराजसर तहसील नोहर के खाता संख्या 65/67 की कुल 4.7290 हैक्ट भूमि में से 3717/4729 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा रेखजिन्द्रासर तहसील नोहर के खाता संख्या 56/34 की कुल 1.7830 हैक्ट भूमि में से 771/1783 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रतिवादी संख्या 1 की बजाय वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 को बहिहब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23/12/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.12.27 13:55:17 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 649 / 2023
अनवान : –

1. राधा पुत्री मालाराम जाति सोनी निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर।
2. राजेश पुत्री मालाराम जाति सोनी निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर।
3. शारदा पुत्री मालाराम जाति सोनी निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर।

– वादीगण

बनाम्

1. मलाराम पुत्र मोमन राम जाति सोनी निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर।
2. प्रहलाद पुत्र मालाराम जाति सोनी निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर।
3. विमला पुत्री मालाराम जाति सोनी निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर।
4. बाधो पुत्री मालाराम जाति सोनी निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर।
5. मंजु पुत्री मालाराम जाति सोनी निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
7. उप पंजीयक कार्यालय नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 649 सन 2024 निर्णय दिनांक –23/12/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री महेशचन्द्र शर्मा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा गिराजसर तहसील नोहर के खाता संख्या 65 / 67 की कुल 4.7290 हैक्ट भूमि में से 3717 / 4729 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा रेखजिन्द्रासर तहसील नोहर के खाता संख्या 56 / 34 की कुल 1.7830 हैक्ट भूमि में से 771 / 1783 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रतिवादी संख्या 1 की बजाय वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 को बहिहब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 23/12/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.12.27 13:55:17 IST
Reason: SelfAttested